न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रेक सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या 197 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2012 / 00063

प्रार्थीगण

गंगाराम गोदपुत्र स्व. धीमाराम
जाति—बिश्नोई, निवासी—डेडवा
तहसील—सांचौर, जिला—जालोर

अप्रार्थीगण

1 रघुनाथ पुत्र हरलाल, जाति—बिश्नोई, नि—डेडवा

2 हरलाल पुत्र किरताराम फौत के कायम मु.

1 रामलाल पुत्र हरलाल

2 छोगाराम पुत्र हरलाल

3 वाली पुत्री हरलाल पत्नी खेराजराम
जाति—बिश्नोई, निवासी—भेरूड़ी,
तहसील—सेड़वा, जिला—बाड़मेर

4 वरजू पुत्री हरलाल पत्नी देवाराम
जाति—बिश्नोई, निवासी—जाणियों की बस्ती,
सदराम की बेरी, तहसील—सेड़वा, जिला—बाड़मेर

5 वगतु पुत्री हरलाल पत्नी पीराराम
निवासी—हालीवाव, तहसील—चितलवाना

6 जगरूपा पुत्र हरलाल फौत के कायम मुकाम
ए—मोहनलाल पुत्र जगरूपाराम
बी—शैतानसिंह पुत्र जगरूपा
सी—तुलसी पुत्री जगरूपाराम
डी—केली पत्नी जगरूपाराम
जातियान—बिश्नोई, निवासीगण—
डेडवा, तह—सांचौर, जिला—जालोर

7 मफीदेवी पत्नी बाबुलाल

8 तगीदेवी पत्नी पुनमाराम

9 मीरा देवी पत्नी मांगीलाल
जातियान—रेबारी, निवासीगण—डेडवा
तहसील[illegible] जिला—जालोर

10 [illegible] पुत्र [illegible]

11 हरिराम पुत्र [illegible]देवा
जातियान—बि[illegible]ई, निवासीगण—डेडवा
तहसील—सांचौर, जिला—जालोर

12 पुनमचन्द पुत्र हरदेवा, जाति—
बिश्नोई, निवासी—डेडवा हाल निवासी—

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

करड़ा चौराहा के पास भीनमाल

13 सुवटी पत्नी हरदेवा फौत के

कायम मुकाम वारिशदारान

1 रायचन्द पुत्र हरदेवा

2 हरिराम पुत्र हरदेवा

जातियान–बिश्नोई, निवासीगण–

डेडवा, तह–सांचौर, जिला–जालोर

3 पुनमचन्द पुत्र हरदेवा, जाति–

बिश्नोई, निवासी–डेडवा, हाल निवासी–

करड़ा चौराहा के पास भीनमाल, तहसील–भीनमाल

4 धनी पुत्री हरदेवा पत्नी भंवरलाल

जाति–बिश्नोई, निवासी–वाड़ा भाड़वी,

तहसील–भीनमाल, जिला–जालोर

5 शान्ति पुत्री हरदेवा पत्नी मोहनलाल

जाति–बिश्नोई, निवासी–भागल भीम

तहसील–भीनमाल, जिला–जालोर

14 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी

तहसीलदार सांचौर

15 सहायक अभियन्ता सार्वजनिक

निर्माण विभाग सांचौर, जिला–जालोर

16 अधीशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण

विभाग सांचौर, जिला–जालोर

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>तारीख रजु :– 20.12.2012</u>

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 (1 लगायत 5 (6) ए.बी.सी.डी. एवं 10 लगायत 16 [illegible] अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही।
4. अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री [illegible] उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:36 IST
Reason: SelfAttested

:– निर्णय :– दिनांक :– 03.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस [illegible] कार है कि मौजा डेडवा में प्रार्थी के मालिकाना कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 427 रकबा 0.01 हैक्टैयर, खसरा नंबर 428 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 658/949 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 725 रकबा 2.19 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.61 हैक्टेयर पुरा प्रार्थी का आया हुआ है

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

व इसी ग्राम के खेत खसरा नंबर 690 रकबा 2.85 हैक्टेयर, खसरा नंबर 691 रकबा 2.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 697 रकबा 4.69 हैक्टेयर, खसरा नंबर 712 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नंबर 726 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 728 रकबा 2.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 741 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 784 रकबा 0.72 हैक्टेयर जुमले रकबा 15.94 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा आया हुआ है व डेडवा खुर्द के खसरा नंबर 391 रकबा 1.39 हैक्टेयर में वादी का 1/3 हिस्सा आया हुआ है। उक्त आराजी को आगें वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। धीमाराम के निर्वसीयति फौत होने पर धीमाराम की स्वअर्जित संपति में प्रार्थी का मालिकाना हक हकूक गोदपुत्र होने से निहित हो जाने से उक्त आराजी का प्रार्थी शांतिपूर्ण बदस्तूर बहैसियत मालिकाना हकहकूक के कब्जाकाश्त उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की जाति बिश्नोई है, हिन्दू धर्म मानते है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण पर हिन्दूविधि लागू होती है। हिन्दू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधान भी दोनों पक्षों पर लागू होते है। स्वर्गीय धीमाराम के कोई संतान नहीं होने से उनकी वंश परम्परा को कायम रखनें के लिए प्रार्थी के कुदरती पिता अप्रार्थी संख्या दो हरलाल ने प्रार्थी गंगाराम को आज से पचास वर्ष से अधिक समय से पूर्व अर्थात् संवत् 2017 के पोष माह के शुक्ल पक्ष की पांचवी तिथि को प्राकृतिक माता पिता स्व. पारूदेवी व हरलाल द्वारा अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के प्रार्थी को सामाजिक, जातिगत रीतिरिवाज एवं हिन्दू विधि के प्रावधानों की पालना करते हुए गांव के पंच मुख्यान के रूबरू गुड़धाना बांटकर पगड़ी बांधकर प्रार्थी को धीमाराम के गोद दे दिया था। जिससे गोद लेने वाले धीमाराम व उसकी पत्नी ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के गोदपुत्र के रूप में प्रार्थी को स्वीकार कर लिया था। स्व. धीमाराम के जीवनकाल में प्रार्थी उनके साथ रहकर जायन्दा पुत्र की तरह सेवा चाकरी करता रहा जिससे प्रार्थी के सभी सरकारी, गैर सरकारी अभिलेखों में अपने पिता के नाम के रूप में धीमाराम का नाम सन् 1962 से दर्ज होता आ रहा है जो संपूर्ण सरकारी दस्तावेज बतौर सबूत के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत है। धीमाराम के फौत होनें पर प्रार्थी ने अंतिम संस्कार, मेहमानों की आवभगत इत्यादि तमाम सामाजिक रीति रिवाज की रस्में पूर्ण की थी। अप्रार्थी संख्या 01 रूगनाथ कभी भी स्व. धीमाराम के गोदपुत्र नहीं रहा, न ही उसे कभी गोदपुत्र लिया गया। उनकी सेवा चाकरी नहीं की तथा न ही कोई रस्में अदा की जिससे अप्रार्थी रूगनाथ का किसी भी सूरत में वादग्रस्त भूमि में कोई हकहकूक पानें का अधिकारी नहीं है। स्व. धीमाराम के कोई संतान नहीं होने से अप्रार्थी संख्या एक रूगनाथ की नियत शुरू [illegible] धीमाराम की समस्त संपति को हड़प करनें की रही। स्व. धीमाराम [illegible] डगमगा गया था, जिनका नाजायज फायदा उठाकर [illegible] माता की बिना सहमति के एवं स्व. धीमाराम की पत्नी की इच्छा के विपरित उनकी [illegible] सहमति से एक अवैध एवं विधिविरूद्व रूप से दिनांक 23.06.1989 को गोदनामा पंजीयन कराया। मृतक धीमाराम के प्रार्थी पूर्व से गोदपुत्र मौजूद है, तो दूसरा गोदपुत्र लेना विधि द्वारा वर्जित है तथा ऐसे दुसरे गोदपुत्र लेंने की कोई रस्में भी अदा नहीं हुई थी, जो कथित गोदनामा प्रारम्भ से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

शून्य एवं निष्प्रभावी (Abinitio null and void) है। जिसका ज्ञान प्रार्थी को होने से उक्त गोदनामा का निरस्तीकरण का दावा सक्षम माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय भीनमाल में पेश किया गया। उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग कर अवैध व गैरकानूनी तरीके से प्रार्थी को येन केन नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखलदांजी पैदा कर प्रार्थी को जबरन बेदखल कर रातों रात सड़क निर्माण कर वाद की विषयवस्तु में परिवर्तन कर देते है, तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई दृव्यों में संभव नहीं है। वाद की बहुलताएं बढ़कर कानूनी जटिलांए बढ़ेगी। प्रार्थी को तरह तरह की मुकदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कानूनी स्तम्भ प्रार्थी के पक्ष में है।

उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.12.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 के जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा डेडवा के खेत खसरा संख्या 427, 428, 658/949, 725 जुमले रकबा 2.61 हैक्टेयर व खसरा नंबर 690, 691, 697, 712, 726, 728, 741, 784 जुमले रकबा 15.94 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा व डेडवा खुर्द के खेत खसरा नंबर 391 रकबा 1.39 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा स्व. धीमा पुत्र किरता, कौम बिश्नोई निवासी डेडवा के खातेदारी के आये हुए है। स्व. धीमा के फौत होने पर जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 14.03.2005 को स्व. धीमा के गोदपुत्र एक जायज वारिशान गोद पुत्र रघुनाथ के नाम स्वीकृत किया जाकर तमाम राजस्व रेकर्ड में स्व. धीमा के बजाय अप्रार्थी रघुनाथ थे, नाम दुरूस्ती की गई है जो बदस्तूर है तथा मौके पर कब्जा काश्त अप्रार्थी रघुनाथ का है जो बदस्तूर है। प्रार्थी ने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की गलत बैबुनियाद, मनगंढत वंशावली पेश कर हकीकत तथ्यों को छिपाया है। अप्रार्थी रघुनाथ स्व. धीमा का गोदपुत्र होन से स्व. धीमा के फौत होने के पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 101 गोदपुत्र रघुनाथ के नाम स्वीकृत किया जाकर मौजा डेडवा व डेडवा खुर्द में स्थित तमाम स्व. धीमा की खातेदारी आराजी का राजस्व रेकर्ड में स्व. धीमा के बजाय अप्रार्थी रघुनाथ के नाम की दुरूस्ती की गई जो बदस्तूर है तथा कब्जा काश्त भी अप्रार्थी रघुनाथ का ही खसरा नंबर 427, 428 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त अप्रार्थी रघुनाथ का होने से अप्रार्थी रघुनाथ ने दिनांक 11.01.2012 को विधि सम्मत खसरा नंबर 427, 428 बैचाननामा कर अप्रार्थीगण [illegible] के पक्ष में निष्पादित करवा कर कब्जा अप्रार्थीगण संख्या 3, [illegible] बदस्तूर है नामान्तरकरण संख्या 201 अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, [illegible] जाकर तमाम राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 5 के नाम की दुरूस्ती कर [illegible] जा चुकी है जो बदस्तूर है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। प्रार्थी ने आधारहीन व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर हकीकत तथ्यों को छिपा कर वाद व प्रार्थना–पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र व वाद चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। प्रार्थी का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:36 IST
Reason: SelfAttested

चलने योग्य नहीं होने से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के वाद को खारिज करने का अलग से प्रार्थना–पत्र पेश किया है। स्व. धीमा ने प्रार्थी को कभी गोद लिया ही नहीं है जिससे मौजा डेडवा में स्थित एवं धीमा की उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में प्रार्थी का कोई विधिसम्मत अधिकार पैदा नहीं होता है और न ही कोई प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त है न कभी था। ऐसी सूरत में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस मेड आउट नहीं होता है। प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा मौके पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का होने से प्रार्थी को कोई क्षति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी ने मनगंढत एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर हकीकत तथ्यों को जानबुझ कर छिपाकर वाद एवं प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है अतः प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर होने से खारिज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने खसरा नंबर व रकबा नहीं दर्शाया है परन्तु उसमें अपना 1/3 हिस्सा होने का कथन गलत किया है। किरताजी के तीन पुत्र हरलाल, धीमाराम व हरदेवा थे। धीमाराम व हरदेवा फौत हो चुके है। हरलाल अभी जीवित है। हरलालजी के पांच जायन्दा पुत्र व तीन पुत्रियां है जिसमें पुत्र जगरूपाराम, गंगाराम, रामलाल, छोगाराम व मैं अप्रार्थी संख्या एक रूगनाथ थे जिसमें मैं अप्रार्थी संख्या एक रूगनाथ, धीमाराम के छोटी अवस्था में ही गोद चला गया था व हरलालजी के तीन पुत्रिया वाली, वरजु व वगतु है तथा धीमाराम के कोई जायन्दा पुत्र नहीं है एक पुत्री है जिसका नाम मीरा है तथा हरदेवा के तीन पुत्र व दो पुत्रियां है। इस प्रकार प्रार्थी ने अपना 1/3 हिस्सा किस आधार पर कहा है समझ से बाहर है यदि हरलाल के हिस्से में माने तो मुझ रूगनाथ के गोद चले जाने से शेष भाई व 3 बहिने माने तो प्रार्थी का 1/8 हिस्सा वर्तमान में बनता है। हरलालजी के निर्वसियती फौत होने के बाद 1/7 हिस्सा प्रार्थी का हरलालजी के हिस्से में बनता है तथा धीमाराजी के मैं अप्रार्थी छोटी उम्र से ही गोद था तथा मेरे पक्ष में धीमारामजी ने पंजिबद्व गोदनामा निष्पादित करवाया है। प्रार्थी का धीमाराम की संपति में कोई हक नहीं है। धीमाराम सन् 2004 में फौत होने पर पंजिबद्व गोदनामें के आधार पर मुझ अप्रार्थी के नाम धीमाराम की संपूर्ण जमीन मेरे खातेदारी में दर्ज हो गई तथा धीमाराजी ने मुझे छोटी उम्र में ही यानि 14 साल से पहले गोदपुत्र स्वीकार कर लिया था तथा गोदपुत्र की आवश्यक रस्म पूर्ण कर [illegible] अन्धा होने से स्वंय के शरीर का भी देखभाल नहीं कर सकता व संप[illegible] व उपभोग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा न ही वंश परम्परा कायम रख [illegible] स्वयं अन्धा होने से अविवाहित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा बताये गये [illegible] कथन मिथ्या व निराधार है। वादग्रस्त भूमि जो धीमाराम के नाम थी उस पर धीमाराम जी के जीवनकाल में उनके साथ रहकर व उनके फौत होने पर उनकी भूमि पर व तमाम असल संपति पर में पूर्व से काबिज काश्त था व उसी कदर चला आ रहा हूं। मैं एक सरकारी सेवा में अध्यापक हूं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

मेरे संबंध में नाजायज गिरोह बनाना व गुंडागर्दी करना जैसे शब्द मेरे लिये प्रयोग में लिये जा रहे है वे गलत है व मानहानिकारक है तथा मैं अप्रार्थी विगत करीब 40 साल से ज्यादा समय से धीमाराम जी के साथ पुत्र के रूप में रहकर गोदपुत्र की रस्म पूरी कर गोदपुत्र के रूप में साथ निवास कर रहा था तथा उनके फौत होने पर उसी कदर उनकी संपति पर काबिज काश्त हूं। इसलिए कब्जा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से काबिल खारिज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम 1 लगायत 5, 6 के कायम मुकाम ए.बी.सी. डी. व 10 लगायत 16 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई उस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। अतः हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दूओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णित करना उचित समझते है।

1. **<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u>** प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार धीमाराम का गोदपुत्र होने का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। जमाबंदी संवत् 2067–2070 के कॉलम संख्या 4 में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 427, 428, 658/949, 725 जुमले रकबा 2.61 रघुनाथ गोदपुत्र धीमाराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा जिसमें रघुनाथ धीमा का गोदपुत्र दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2063–2066 में अंकित वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 690, 691, 697, 712, 726, 728, 741, 784 जुमले रकबा 15.94 में रघुनाथ गोद पुत्र धीमा व अन्य के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थी रघुनाथ वादग्रस्त आराजी का रेकॉर्डेड खातेदार है। जमाबंदी संवत् 2059–2062 के कॉलम संख्या 4 में वादग्रस्त आराजी के उपरोक्त खसरा नंबरान में धीमा वल्द किरताराम बतौर खातेदार दर्ज है तथा धीमाराम के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 101/14.03.2005 के तहत धीमाराम वल्द किरताराम के फौत होने पर उनके वारिसान रघुनाथ गोद पुत्र धीमा के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना अंकित है। [illegible] रघुनाथ ने अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी गंगाराम जन्म [illegible] गोदपुत्र लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है साथ ही [illegible] कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया है। गोदपुत्र के लिए पंजिबद्व गोदना[illegible]ना आवश्यक है तथा गोद लेकर हर व्यक्ति अपनी वंश परम्परा आगे चलाना चाहता है परन्तु गंगाराम अन्धा होने से अविवाहित भी है जबकि धीमाराम ने मुझ अप्रार्थी को गोदपुत्र लेकर पंजिबद्व गोदनामा निष्पादित करवाया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी धीमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:36 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचौर

के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जो धीमाराम के फौत होने पर उनके गोदपुत्र रघुनाथ के नाम जरिये उतराधिकार प्राप्त होकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हुई। वादग्रस्त आराजी से संबंधित हक हकूकों का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात निर्धारण के पश्चात साक्ष्य सबूतों के आधार पर होगा। राजस्व मण्डल ने अपने अनेक न्याय निर्णयन में यह निर्धारित किया है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण उनके पक्ष में बखूबी सिद्व होता है।

2. **<u>सुविधा का संतुलन :–</u>** प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वंय का कब्जा होना कथन किया है परन्तु पत्रावली पर इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है एवं उसका निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। पत्रावली में मौजूद नायब तहसीलदार सांचौर की ओर से पेश मौका फर्द में कब्जा काश्त अप्रार्थी रघुनाथ का दर्शाया गया है इससे एवं पत्रावली में मौजूद दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का राजस्व अभिलेख एवं काश्त कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 का होना साबित है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में भली भांति सिद्व होता है।

3. **<u>अपूरणीय क्षति :–</u>** पूर्व विवेचित बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला एंव सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुके है। वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से रिकॉर्डेड खातेदार का कृषि आदान अनुदान बैंक से ऋण प्राप्ति, रहनमुक्ति एंव कृषि भूमि के विकास आदि से वंचित हो जायेगा। इस प्रकार खातेदार को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः यह बिन्दू बहक अप्रार्थी साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधिसंगत नहीं समझते है।

:– आदेश :–

अतः विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों कानूनी बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नबंर से एक कम [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:36 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक
सांचौर, जिला जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर)
जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक **03.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रेक सांचौर, जिला जालोर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर)
जिला जालोर